राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–07/2025

जितेन्द्र कुमार साह बनाम् ज्ञान्ति देवी।

1 यह वाद श्री जितेन्द्र कुमार साह, पिता–श्री प्रकाश कुमार साह, उसरी बुजुर्ग, सिवान, हसनपुरा, **जिला–सिवान** द्वारा श्रीमती ज्ञान्ति देवी, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर पंचायत हसनपुरा, **जिला–सिवान** के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l)–सह–पठित धारा–18(2) के तहत इस नियम के अधीन निर्धारित कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बुझकर उपेक्षा के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर पंचायत हसनपुरा, **जिला–सिवान** के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2 वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्वारा वादी का पक्ष रखा गया तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मणिलाल महतो एवं अंगध सिंह द्वारा पक्ष रखा गया, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से श्रीमती सीमा कुमारी, जिला आपर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा एवं श्री अमर ज्योति, वरीय उप समाहर्त्ता, सिवान को प्राधिकृत किया गया।

3 वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वरा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन जान–बुझकर नहीं किया जा रहा है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथश्संशोधित) की धारा–18(1)(l) के तहत अयोग्यता का कारण है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली–2013 के अधीन न तो वार्ड समिति का गठन किया गया है और न ही आज तक कोई बैठक आयोजित की गयी है। ऐसा होने से उस वार्ड के विकास कार्य अवरूद्ध है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा संवेदक के रूप में कार्य किया जा रहा है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–53 का उल्लंघन हे। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके इस कार्य में उनका पुत्र, जो कि सरकारी सेवक है, भी संलग्न है। इस प्रकार प्रतिवादी का यह कृत्य भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। इस प्रकार प्रतिवादी उक्त अधिनियम की धारा–18(1)(j) के तहत भी निरर्हित किये जाने योग्य है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न तो लिखित जवाब दायर किया गया और न ही मौखिक रूप से वादी के आरोपों का खण्डन/प्रतिवाद किया गया, जबकि वें दिनांक–07.08.2025, दिनांक– 18.09.2025, दिनांक–27.11.2025, दिनांक–08.01.2026, दिनांक–05.02.2026 एवं दिनांक–19.03.2026 को वह उपस्थित थे।

5. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका), सिवान द्वारा पत्रांक–1614/पं0, दिनांक– 23.05.2026 एवं पत्रांक–462/पं0, दिनांक– 03.02.2026 के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

निष्कर्ष:–

"श्री प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक, नगर पंचायत हसनपुरा, सिवान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हसनपुरा के द्वारा प्रस्तुत कार्यालय अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि श्री प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक, नगर पंचायत हसनपुरा, सिवान द्वारा **योजना संख्या–04/23–24 के तहत नगर पंचायत, हसनपुरा वार्ड संख्या–02 में गुड्डु शर्मा के घर से मुन्ना डीलर के घर तक नाला एवं पेवर ब्लॉक पथ के निर्माण कार्य कराने के एवज में मजदूरी एवं सामग्री आपूर्त्ति हेतु श्री विनोद कुमार गुप्ता को BTC Form-39 Hand Receipt के माध्यम से राशि 1,33,208/–(एक लाख तेतीस हजार दो सौ आठ) रूपये एवं बैंक चेक के माध्यम से 3,75,100/–(तीन लाख पचहत्तर हजार एक सौ) रूपये श्री विनोद गुप्ता के खाते में भुगतान किया गया है।**

श्री प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक, नगर पंचायत, हसनपुरा के द्वारा यह कहा जाना कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि श्री विनोद कुमार गुप्ता सरकारी सेवा (बिहार पुलिस) में हैं एवं श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा यह कहा जाना है कि इतनी बड़ी राशि इनके बीच के निजी लेन देन की है, संदेहास्पद प्रतीत होता है। साथ ही श्री प्रमोद कुमार को इस बात की जानकारी होते हुए कि श्री विनोद कुमार गुप्ता की माँ श्रीमती ज्ञान्ती देवी उसी वार्ड में वार्ड पार्षद भी है, फिर भी उनसे सरकारी कार्य हेतु मजदूर एवं सामग्री प्राप्त की गयी तथा उसके एवज में भुगतान भी किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि श्री प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक एवं श्री विनोद कुमार गुप्ता के बीच साँठ–गाँठ एवं मिली–भगत के द्वारा उक्त कृत्य किया गया है।

श्री विनोद कुमार गुप्ता की माँ श्रीमती ज्ञान्ती देवी, नगर पंचायत, हसनपुरा में वार्ड पार्षद, है, इसलिए वार्ड पार्षद के परिवार के किसी सदस्य का नगर पंचायत के किसी संविदा/नियोजन में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हित रखने के कारण बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 के नियम–53 का उल्लंघन प्रतीत होता है। साथ ही श्री विनोद कुमार गुप्ता जो बिहार सरकार के अधीन सरकारी सेवा(बिहार पुलिस) में कार्यरत रहते हुए, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष/अत्प्रक्ष रूप से व्यापार या कारोबार में संलिप्त होना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की धारा–16(1) का उल्लंघन होता है"

(पत्रांक–1614/पं0, दिनांक– 23.05.2026)

"वाद संख्या–07/2025, जितेन्द्र कुमार साह बनाम् ज्ञान्ति देवी में वर्णित बिन्दु के जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त मामला नगर पंचायत हसनपुरा, वार्ड संख्या–02 में गुड्डु शर्मा के घर से मुन्ना डिलर के घर तक आर0सी0सी0 नाला एवं फेवर ब्लॉक पथ के निर्माण कार्य से संबंधित है। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हसनपुरा के पत्रांक–264, दिनांक–25.07.2023 के द्वारा दो अन्य कार्यों के साथ उक्त कार्यों का कार्यादेश श्री प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक, नगर पंचायत, हसनपुरा को निर्गत किया गया है। उक्त निर्माण कार्य कराने हेतु श्रमिकों एवं अन्य आपूर्त्ति से संबंधित भुगतान हेतु BTC Form-39 पर Hand Receipt **के माध्यम से श्री प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक, नगर पंचायत, हसनपुरा द्वारा श्री विनोद कुमार गुप्ता, वार्ड नं0–02, उसरी बुजुर्ग, हसनपुरा को दिनांक– 15.09.2023 को रूपये 1,33,208/–(एक**

लाख तैंतीस हजार दो सौ आठ) रूपये का भुगतान किया गया है। उक्त Hand Receipt को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हसनपुरा द्वारा दिनांक–04.10.2023 को पारित भी किया गया है।

(पत्रांक–462/पं0, दिनांक–03.02.2026)

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध मुख्य रूप से दो आरोप लगाये गये हैं–

(1) वैधानिक प्रावधानों के अधीन वार्ड समिति की बैठक नहीं करना।

(2) प्रतिवादी के पुत्र के खाते में नगरपालिका से संबंधित किये गये, कार्य का भुगतान प्राप्त करना

आयोग द्वारा दोनों आरोपों का परिशीलन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया, तो यह पाया गया कि वादी के प्रथम आरोप सत्य एवं प्रमाणित नहीं है, जबकि दुसरा आरोप सत्य एवं प्रमाणित पाये गये।

वादी का प्रथम आरोप यह है कि प्रतिवादी द्वारा वार्ड स्तरीय समिति में उनके द्वारा भाग नहीं लिया गया है, परन्तु राज्य के किसी भी वार्ड में नियमानुसार वार्ड समिति के गठन हेतु निर्वाचन का कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि इन कमिटियों में पदों के आरक्षण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण विभाग स्तर पर विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा वार्ड के आम नागरिकों की उपस्थिति में कुछ बैठकें की गयी हैं तथा उनमें कुछ योजनाओं को कराये जाने की अनुशंसा नगरपालिका पंचायत बोर्ड को की गयी है।

वादी का दूसरा आरोप तथ्यतः सही पाया गया है, क्योंकि ज्ञान्ति देवी की उपस्थिति में दिनांक–03.03.2023 को वार्ड संख्या–02 में वार्ड समिति की बैठक की गयी, जिसमें एजेण्डा संख्या–26, "गुड्डु शर्मा के घर से मुन्ना डीलर के घर तक नाला एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य की अनुशंसा सशक्त स्थायी समिति को गयी, सशक्त स्थायी समिति द्वारा दिनांक–19.07.2023 की बैठक को उक्त योजना स्वीकृति प्रस्ताव संख्या–02 के रूप में की गयी है। सशक्त स्थायी समिति के उक्त निर्णय को दिनांक–02.03.2024 की मासिक बोर्ड की सामान्य बैठक में पारित किया गया है, जिसमें ज्ञान्ति देवी उपस्थित रही हैं, अर्थात् कार्य के चयन हेतु अनुशंसा एवं आवंटन के निर्णय में ज्ञान्ति देवी स्वयं उपस्थित रही हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–53 नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों को इस शर्त्त के साथ संविदा में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है कि ऐसे सदस्य जो संविदा प्रक्रिया में भाग ले रहे हो, वें उस बैठक का हिस्सा नहीं बनेगें, जिसमें संविदा का चयन अथवा आवंटन किया जाना है। विचाराधीन वाद में यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी ज्ञान्ति देवी कार्य के चयन हेतु अनुशंसा एवं आवंटन में उपस्थित रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा धारा–53 का उल्लंघन किया गया है।

उक्त कार्य के भुगतान के अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार भी यह प्रमाणित है कि मजदूरी एवं सामग्री के आपूर्त्ति हेतु BTC Form-39 Hand Receipt के माध्यम से 1,33,208/–(एक लाख तैंतीस हजार दो सौ आठ) रूपये का भुगतान किया गया तथा पुनः चेक के माध्यम से 3,75,100/–(तीन लाख पचहत्तर हजार एक सौ) रूपये का भुगतान श्री विनोद कुमार गुप्ता, जो कि प्रतिवादी के पुत्र के साथ–साथ बिहार राज्य के एक कार्यरत सरकारी सेवक भी है, के खाते में नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा स्वयं के खाते से अंतरित किया गया है। यह अंतरित रकम उनको आवंटित कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान में किया गया है, जिसकी लिखित स्वीकारोक्ति स्वयं नगर पंचायत के कार्यरत कर्मी श्री प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक द्वारा की गयी है। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि श्रीमती ज्ञान्ति देवी द्वारा अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए, कार्यावंटन अपने व्यक्तिगत हित में कराते हुए, किये गये कार्य का भुगतान अपने पुत्र के खाते में कराया गया है,जो बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के तहत उनमें निहित शक्तियों के दुरूपयोग की दोषी पायी गयी है। अतएव उक्त अधिनियम की धारा–18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन तत्काल प्रभाव से प्रतिवादी को निरर्हित/अयोग्य घोषित करते हुए, नगर पंचायत, हसनपुरा, जिला–सिवान के वार्ड संख्या–02 के वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ नगर पंचायत, हसनपुरा, जिला–सिवान के वार्ड संख्या–02 के वार्ड पार्षद का पद रिक्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

प्रतिवादी के पुत्र बिहार पुलिस के कर्मी है, अतः सरकारी सेवा में रहते हुए, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किया गया कार्य बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली–1976 की धारा–16(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः पुलिस महानिदेशक बिहार राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि नैसर्गिक–न्याय के नियम का पालन करते हुए, श्री विनोद कुमार गुप्ता के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को निदेशित करेगें। जिला पदाधिकारी, सिवान आवश्यक कार्रवाई हेतु श्री विनोद कुमार गुप्ता के वर्तमान पदस्थापन, पुलिस कोड/सिपाही संख्या आदि से संबंधित सूचना 02 सप्ताह के अन्दर पुलिस महानिदेशक, बिहार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
16.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।
ज्ञापांक–07/2025 4104

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
16.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।
पटना, दिनांक– 16/10/2026

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार, सरदार पटेल भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/26
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–07 / 2025 4104 पटना, दिनांक– 16/10/2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान / जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, जिला–सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, जिला–सिवान को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–07 / 2025 4104 पटना, दिनांक– 16/10/2025

वादी श्री जितेन्द्र कुमार साह, पिता–श्री प्रकाश कुमार साह, उसरी बुजुर्ग, सिवान, हसनपुरा, जिला–सिवान द्वारा श्रीमती ज्ञान्ति देवी, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर पंचायत हसनपुरा, जिला–सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–07 / 2025 4104 पटना, दिनांक– 16/10/2025

श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर(निर्वाचन शाखा) / श्री वैष्णव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–07 / 2025 4104 पटना, दिनांक– 16/10/2025

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त